

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्र - 567-4-16

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

श्री काट-शुभ सिंह  
कामिठे का दिनांक 16-2-16  
का प्रस्तुत

16.2.16

50

R. Sanyal  
अ-ए-12/13-14  
16/2/16

श्री काट

हरिराम पुत्र चतुरी जाटव निवासी  
बामरोल तहसील बडौनी जिला दतिया  
म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

श्रीमती वती पत्नी श्री छोटेलाल कुशवाह  
निवासी ग्राम बामरोल तहसील बडौनी  
जिला दतिया म.प्र.

..... अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बडौनी खुर्द तहसील बडौनी जिला  
दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/ अ- 12/ 13-14 सीमाकन में  
पारित आदेश दिनांक 05.05.2014 के विरुद्ध निगरानी ।

— 2

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत  
है :-

1. यहकि, अनावेदिका वती पत्नी छोटेलाल द्वारा बामरोल स्थित भूमि  
सर्वे क्रमांक 93/ 2 रकवा 0.39 हेक्टर का सीमाकन कराने हेतु  
आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदक को सूचना दिये बिना मौके पर  
कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि आवेदक सीमांत कृषक था उसे  
कोई सूचना नहीं दी गई स्थल पंचनामा पर अनावेदिका के भी  
हस्ताक्षर नहीं है राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके पर  
जाकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मौका नक्शा अनुसार  
कार्यालय में बैठकर ही संपूर्ण कार्यवाही समपन्न की गई।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निग/567/दो/2015(सीमांकन)

जिला-दतिया

निग/3469/दो/2015(संहिता की धारा 250)

हरिराम विरूद्ध श्रीमती बती बाई

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

11/4/2018

प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

2- यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बडोनी खुर्द तहसील बडौनी जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2014 अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण क्रमांक 148/बी-121/14-15 में जारी नोटिस दिनांक 10.08.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन तथा सीमांकन कार्यवाही के आधार पर की गयी संहिता की धारा 250 की कार्यवाही से संबंधित है।

3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क मुख्यतः कहा गया कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही विधिवत सभी उपस्थित हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष की गयी है, जहां आवेदक भी सीमांकन के समय उपस्थित था तथा आवेदक द्वारा सीमांकन के समय कोई आपत्ति सीमांकन के संबंध में नहीं की गयी। सीमांकन विधिवत होने से निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.12.2010 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ राजस्व

प्रकरण क्रमांक निग/567/दो/2015(सीमांकन)

जिला-दतिया

निग/3469/दो/2015(संहिता की धारा 250)

हरिराम विरुद्ध श्रीमती बती बाई

निरीक्षक द्वारा प्रकरण में उपस्थित सीमांकन कार्यवाही करते समय विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया है जिसे आवेदक द्वारा लेने से इन्कार किया गया है इस आशय की टीप सूचना पत्र पर अंकित है जिसके संबंध में दो साक्षियों के भी हस्ताक्षर हैं इससे यह तो स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार किया गया है। पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही के समय आवेदक उपस्थित नहीं रहा यदि आवेदक उपस्थित रहा होता तो पंचनामा में जिस प्रकार अनावेदिका की उपस्थित का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार आवेदक की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया होता। किन्तु सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही में आवेदक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है पंचनामा पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह तो स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में ही सम्पन्न की गयी है वहीं यह भी तथ्य विचारणीय है कि आवेदक को सूचना पत्र लेना चाहिए था तथा उसे यदि सीमांकन कार्यवाही से कोई आपत्ति थी तो उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आपत्ति उठाना चाहिए थी जिसमें आवेदक भी निष्फल रहा है, किन्तु फिर भी न्याय विफल न हो इसे ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः सीमांकन कराया जाना न्यायसंगत होगा वहीं पुनः सीमांकन दोनों पक्षों की उपस्थिति में कराए जाने से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना भी नहीं है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में की गयी प्रश्नाधीन सीमांकन कार्यवाही दिनांक 05.05.2014 स्थगित की जाती है।

6- इसी आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/बी-121/2014-15 पर पंजीवद्ध कर प्रारंभ की गयी है जिसके विरुद्ध भी निगरानी क्रमांक निग./3469/दो/15 हरिराम विरुद्ध श्रीमती बती बाई प्रस्तुत की गयी है संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को भी उक्त सीमांकन कार्यवाही के क्रम में दो माह के लिए स्थगित किया जाता है, तथा अधीनस्थ तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे विधिवत उभयपक्ष को तथा समस्त हितवद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही दो माह में राजस्व निरीक्षक से संहिता में निहित प्रावधानों के तहत सम्पन्न करावें। आवेदक एवं अनावेदिका को भी निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित तहसीलदार के समक्ष स्वयं उक्त समयावधि में उपस्थित होकर सीमांकन की कार्यवाही में सहयोग करें, सीमांकन

1/1/2015


प्रकरण क्रमांक निग/567/दो/2015(सीमांकन)

जिला-दतिया

निग/3469/दो/2015(संहिता की धारा 250)

हरिराम विरुद्ध श्रीमती बती बाई

की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपके द्वारा जानबूझ कर कार्यवाही में असहयोग किया जा रहा है, तदनुसार तहसीलदार दोनो प्रकरणों में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण क्रमांक निग/567/दो/2016/(सीमांकन) हरिराम विरुद्ध श्रीमती बती बाई एवं क्रमांक निग./3469/दो/15(संहिता की धारा 250) हरिराम विरुद्ध श्रीमती बती बाई दोनों इसी स्तर पर समाप्त किये जाते हैं, यह आदेश उक्त दोनों प्रकरणों में लागू होगा। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे। प्र.दा.रि. हो।



(डॉ०एम०के०अग्रवाल)

सदस्य

